

प्रो. अनिल कुमार साहनी: सर, हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: प्रश्न संख्या 403 ...**(व्यवधान)**... Please put your question. Answer please. ...**(Interruptions)**... Please resume your place. ...**(Interruptions)**... Please resume your place. ...**(Interruptions)**... Please, please, Mr Sabir Ali, please, please. ...**(Interruptions)**... Please resume your places. Q.No.403

SHRI BHARATSINH PRABHATSINH PARMAR: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Answer please.

श्री वीर पाल सिंह यादव: उनको उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री सभापति: आप इनके वकील नहीं हैं, आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... Mr. Sabir Ali, ...**(Interruptions)**... You have just been sworn in; please remember the rules of the House. ...**(Interruptions)**...

आपके सवाल का जवाब मिल चुका है, आपने सप्लीमेंटरी नहीं पूछा, बात खत्म हो गई। Question No. 403.

गुजरात में रेलवे की भूमि पर रह रहे गरीब परिवारों का राजीव आवास योजना के अंतर्गत पुनर्वास

*403. **श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार :** क्या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को सूरत, उधना, वड़ोदरा और अहमदाबाद में रेल की पटरियों के आस-पास रेलवे की जमीन पर निवास करने वाले गरीब परिवारों का "राजीव आवास योजना" (आर.ए.वाई.) के अन्तर्गत पुनर्वास किए जाने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने इस संबंध में क्या विभिन्न कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय रेल मंत्रालय तथा गुजरात राज्य सरकार के साथ समन्वयन स्थापित कर गरीब परिवारों के पुनर्वास हेतु कोई आवश्यक कदम उठाने जा रहा है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री (कुमारी शैलजा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य को स्कीम के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया है जिसमें स्लम पुनर्विकास हेतु कार्रवाई राज्य/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के समन्वय से केन्द्र सरकार की एजेंसियों द्वारा की जानी है और

इसकी सूचना रेल मंत्रालय को भी दी गई थी। नवीन प्रायोगिक योजनाएं तैयार करने जिनमें केन्द्र सरकार एवं उसकी एजेंसियों की भूमि पर स्लमों के लिए परियोजनाएं शामिल हैं, हेतु दिशा-निर्देश भी परिचालित किए गए हैं। अब तक राज्य सरकार अथवा रेल मंत्रालय से गुजरात में रेलवे की भूमि पर स्लमों के लिए कोई परियोजना या प्रायोगिक परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। मंत्रालय ने, राजीव आवास योजना के अंतर्गत, रेलवे की भूमि पर स्लमों के पुनर्विकास/पुनर्स्थापन के लिए नीतिगत समाधान हेतु इस मामले को रेल मंत्रालय के साथ भी उठाया है।

Rehabilitation of poor families living on Railway land in Gujarat under RAY

†*403. SHRI BHARATSINH PRABHATSINH PARMAR : Will the Minister of HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION be pleased to state:

(a) whether the Ministry has received any request regarding the rehabilitation of poor families living on railway land near the railway tracks in Surat, Udhna, Vadodara and Ahmedabad under the Rajiv Awas Yojana (RAY);

(b) if so, various steps taken by the Ministry in this regard; and

(c) whether the Ministry is going to take necessary steps for the rehabilitation of these poor families in co-ordination with the Ministry of Railways and the State Government of Gujarat?

THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (KUMARI SELJA) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) The state has been apprised of the Scheme guidelines wherein action for Slum redevelopment is to be taken by the Central Government agencies in coordination with the States / Urban Local Bodies (ULBs) and this was also communicated to the Ministry of Railways. Guidelines have also been circulated for preparing innovative pilot projects, including projects for slums on land belonging to Central Government and its agencies. No projects or pilot projects have been received so far for slums on railways land in Gujarat either from the State Government or the Ministry of Railways. This Ministry has also taken up the matter with Ministry of Railways to arrive at a policy solution to redevelop/ relocate the slums on land belonging to the Railways, under Rajiv Awas Yojana.

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार: धन्यवाद सभापति महोदय, मंत्री जी का जवाब मैंने देखा है। जब हम गुजरात से पूरे देश में ट्रेन से गुजरते हैं तो बड़े शहरों में रेल की पटरी के आजू-बाजू देखने में भी शर्म महसूस होती

†Original notice of the question was received in Hindi.

है, ऐसा दृश्य हमें देखने को मिलता है। मैंने मंत्री जी से पूछा था कि गुजरात में बड़े शहरों में रेलवे की जमीन पर बस रहे गरीब लोगों को कब पुनर्स्थापित किया गया? हमें उसका जवाब तो मिला है, लेकिन जवाब देखकर ऐसा लगता है कि वही धीमी रफ्तार है - जो पहले थी, अब भी वही है। मुझे लगता है कि इसमें टाइम सुनिश्चित करना चाहिए। मेरा पहला प्रश्न यह है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति: एक सवाल पूछिए।

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार: सर, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। गुजरात में रेलवे की जमीन पर बस रहे ऐसे लोगों की संख्या कितनी है?

कुमारी शैलजा: सर, यह सही बात है कि यह मामला थोड़ा लम्बा है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि हमने इस बात को पूरी गंभीरता से लिया है और एक बार नहीं, बार-बार हमने इसके बारे में दूसरे मंत्रालयों को भी लिखा है तथा इसे highest level पर take up किया है। हमारे मंत्रालय ने अगस्त 2009 में दूसरे मंत्रालयों को चिट्ठी लिखी थी कि वे देखें कि उनके यहां कितनी सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड है, जो इस तरह से encroached है। इसके बारे में एक बार नहीं, अनेकों बार highest level पर मीटिंग्स हुई हैं, पीएमओ लेवल पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मीटिंग्स ली हैं और डीपीई हैं, उनसे कहा गया कि वे पता करें कि कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनका कितना लैंड है जो इस तरह से encroach किया गया है। इसी तरह से रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन और बहुत से पोर्ट ट्रस्ट हैं, बहुत सा ऐसा लैंड है, जो encroach हुआ है, न केवल गुजरात बल्कि अनेकों राज्यों में encroach हुआ है। हमने इसे पूरी गंभीरता से लेते हुए मंत्रालयों को लिखा है और हमें बताया गया कि 21 मंत्रालयों से संबंधित इस तरह की जमीनें हैं, जहां पर encroachment हुई है, लेकिन इसका ब्योरा लेने में भी वक्त लगता है। इसके बावजूद रेलवे मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय, दोनों ने हमें कहा कि वे इस मामले को देख रहे हैं, उनसे हमें रिसर्च मिला है, रेलवे मंत्रालय ने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। इसको अपडेट भी किया जाना है। कैबिनेट सेक्रेटरीएट लेवल पर भी इसे take up किया गया है और हमारा मंत्रालय भी इस पर एक concept तैयार कर रहा है कि जो दूसरे मंत्रालयों की लैंड है, उस पर जो स्लम्स आए हैं या इस तरह से encroachment हुई है, उसको हम किस तरह से tackle करें।

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार: सर, जहां-जहां पर इस तरह से encroachment हुई है, जिस स्टेट में यह प्रॉब्लम है, उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ शहरी विकास या रेल मंत्री के साथ एक हाई पॉवर कमेटी बनाकर टाइम पीरियड में इसको पूरा करने की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूँ कि गुजरात में बस रहे ऐसे लोगों को कितने समय में पुनर्स्थापित किया जाएगा?

कुमारी शैलजा: सर, इसमें टाइम देना बहुत मुश्किल होता है। यह सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड्स की बात नहीं है। सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। जहां स्लम्स की बात है,

encroachments हैं, प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी प्लानिंग करनी है। जैसा मैंने कहा, हम मंत्रालयों से भी इस संबंध में बात कर रहे हैं, उनको भी प्लानिंग करनी होगी। जो हमारी नयी स्कीम है, राजीव आवास योजना, उसके तहत हमने clearly कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड्स पर भी देखा जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट्स भी देखेंगी। इस प्रकार दोनों मिलकर इसे देखेंगी। प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट करेगी तथा जो भी city wide planning है, उसमें इस तरह के लैंड्स का ध्यान दिया जाएगा तथा जो central public sector undertakings हैं उनके लैंड की भी प्लानिंग की जाएगी। हमने कहा है कि कुछ pilot projects हमारे पास दिए जाएं, लेकिन अभी तक न किसी स्टेट गवर्नमेंट ने और न किसी central public sector undertaking ने कोई pilot project दिया है।

श्री आर.सी. सिंह: सर, बीच-बीच में रेलवे मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि जहां रेलवे की जमीन दखल करके स्लम्स बने हुए हैं, उनको पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि कितने public sectors की जमीन पर स्लम बस्तियां बसी हुई हैं और उनको पुनर्वासित करने के लिए कितने समय में क्या योजना है?

कुमारी शैलजा: सर, अभी हमारे पास जो कुछ इंफार्मेशन आई है, जो डी.पी.ई. ने अनेकों मंत्रालयों से इकट्ठा की है, उसमें 21 मंत्रालय ऐसे हैं जिनके पास पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, और 88 पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स की जो लैंड है जहां पर एन्क्रोचमेंट हुआ है या स्लम्स बने हैं, तकरीबन 5500 एकड़ की ऐसी जमीन अभी बताई गई है, हम यह नहीं कह सकते कि This is not the last word. ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो इंफार्मेशन हमें डी.पी. के माध्यम से प्राप्त हुई है, उसमें 88 पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स की जमीन 5500 एकड़ लैंड के करीब मानी जाती है।

DR. MANOHAR JOSHI: Sir, the reply to the question is not at all satisfactory. Four years ago I put a similar question and the reply given by the then Minister was also the same. How long will the Government take to take a decision on such an important issue? There are slums in every city, in every part of the country. The slums are to be redeveloped and that redevelopment is held up because the Government is not taking any policy decision. I know that a number of Departments is involved in it. But it should not take more than four years. I see the same reply today. So, I want to know whether the Government is serious about it. The State Government has already taken its decision. But the Railways are not cooperating. The railway lands are occupied by unauthorised slums. I would like to know, on the lines of the Maharashtra Government or any other State Government, whether they are considering that it is in the interest of the people and that it has to be done fast. If it is so, in how many years are they going to complete this job?

KUMARI SELJA: Sir, with all due respect to the hon. senior Member, I will take I don't usually like -- the time of the hon. House and read out what all has been done.

महोदय, माननीय सदस्य ने चार साल पहले के सवाल का जिक्र किया है। सर, मैं बतलाना चाहूंगी कि उसके बाद क्या-क्या हुआ है, ताकि किसी को यह नहीं लगे कि कुछ नहीं हुआ है। यह सच्चाई है कि जो भी स्लम्स अब तक बने हैं, this has been so because of lack of proper planning. जो आज हम फेस कर रहे हैं, we have actually excluded the poor out of the planning process. That is the reason why we see this urban sprawl. Now who is to be blamed and what should have been done, let us not get into those historical questions. But the point is what needs to be done for the future. We took a major initiative in 2004. In 2005, हमने जवाहर लाल नेहरू मिशन बनाया, उसके बाद हमने राजीव आवास योजना बनाई है, जो हमारा लेटेस्ट कार्यक्रम है। उसके तहत मैं आपके लिए कुछ पढ़ना चाहूंगी कि 2009 में, मैं रिपीट कर रही हूँ कि for the benefit of the hon. Member and the House, 2009 में मेरे मंत्रालय ने स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज को चिट्ठी लिखी requesting information on the slums on Central Government lands and to suggest appropriate strategies for slum dwellers. After that, a meeting was taken by the Principal Secretary to the Prime Minister on 3rd June, 2010 to consider policy issues relating to in situ rehabilitation of slum dwellers occupying the land belonging to the Central - Ministries, PSUs, etc. After that, the Secretary, DPE, was to collect the data and, as I shared with the House, the DPE has supplied us some data. Regarding the Railway Ministry, they have said, according to the information supplied by the Railway Ministry, about 486 hectares of their land had been occupied by 1.3 lakh jhuggies. I am not saying that this is the correct figure and it could be more also. Then the DPE has also provided us with the information, which I have just shared with the House, from 21 Ministries and 88 PSUs stating that more than 5,500 acres of land are occupied by slum dwellers.

Sir, then a Concept Paper, outlining various options available, was circulated to the concerned Ministries. A meeting under the Chairmanship of our Ministry Secretary with representatives of various Central Government land owning agencies was held on 26th April, 2001. I have not done, Sir. I am still carrying on.

MR. CHAIRMAN: Please complete quickly. It is only a supplementary question.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, she is taking four years record.

कुमारी शैलजा: मैं 4 years के बारे में बताना चाहूंगी ...(व्यवधान)... सर, मुझ पर और सरकार पर लांचन लगाया गया है कि हमने कुछ नहीं किया है।

MR. CHAIRMAN: You have given facts and the detailed reply can go to the hon. Member. ...*(Interruptions)*...

KUMARI SELJA: Sir, the Rajiv Awas Yojana was launched on 2nd of June, 2011. Sir, the provisions in RAY regarding slums on the Central Government land are as follows. There are just two provisions. I will read it out quickly. First, available land is put to the best use by designing slum specific solutions and negotiating the best possible utilization of land; second, on land belonging to Cantonment Boards, Central Government Departments, PSUs, agencies concerned will work in cooperating with the State Governments. ...*(Interruptions)*... and will design similar solutions to unlock the land ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Thank you. I am afraid you have to conclude.

KUMARI SELJA: Just last sentence, Sir. ...*(Interruptions)*... Sir, a request has been made that ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. Let me go to the next supplementary.

KUMARI SELJA : Sir, a Committee of Secretariat will look into the matter ...*(Interruptions)*... and a note is being prepared ...*(Interruptions)*...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वे पिछले सात सालों की बात न करके, सिर्फ 2004 से लेकर आज तक इन्होंने सात सालों में क्या किसी स्लम्स में रहने वाले आदमी को घर बनाकर दिया है? आप इन सात सालों के बारे में बता दें। इन्होंने बताया है कि हमने डिफेंस और रेलवे मंत्रालय को लिखा है। कॉमनवैल्थ गेम्स में एक पुल गिर गया था, तो डिफेंस डिपार्टमेंट ने उसको रात में तैयार कर दिया था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अब ऐसी क्या कमी है डिफेंस और रेलवे मंत्रालय स्लम्स के लिए रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं?

कुमारी शैलजा: सर, जो दूसरा भाग है, उसमें हमने कहा कि डिफेंस और रेलवे दोनों ही ऐसे मंत्राल हैं, जिन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया है। सर, इसके अलावा पिछले सात सालों का ब्यौरा भी माननीय सदस्य मांग रहे हैं। ...*(व्यवधान)*...

MR. CHAIRMAN: No, there are other questions to be completed.

कुमारी शैलजा: पिछले सात सालों में ...(व्यवधान)... जवाहरलाल मिशन शुरू किया था। उसके तहत ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: I would have disallow this. I am sorry. You have to answer the supplementary. ... (Interruptions)...

KUMARI SELJA: Sir, just one sentence. ... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, no, please. There are other questions to be completed. Just answer the supplementary.

KUMARI SELJA: Sir, just one sentence. सर, अब तक हमने 15 लाख मकान एप्रवू किए हैं, जिनमें से पांच लाख मकान पूरे हो चुके हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: कहां पूरे हो चुके हैं? ...(व्यवधान)...

कुमारी शैलजा: मैंने पूरे देश में बताए हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अवतार सिंह करीमपुरी: यह लैंड ...(व्यवधान)... मान्यवर, मेरा सवाल रेलवे और डिफेंस के बारे में है। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, रेलवे और डिफेंस की जमीन में जो झुग्गियां बनी हैं और आपने जो 15 लाख की संख्या दी है, उसमें आपने दो नाम बताए हैं कि हमने नेहरू जी और राजीव जी के नाम पर एक योजना शुरू की है, तो आप दो घरों के बारे में भी तो बताओ? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: You have answered the question. *Question No. 404. Hon. Member not present. Any supplementary?

महिलाओं को गैर-कानूनी रूप से दुबई भेजना

†*404.000 **रशीद मसूद:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने फर्जी पासपोर्टों के माध्यम से युवतियों को दुबई भेजने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद पत्नी रामचन्द्रन): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख गया है।

विवरण

(क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2009 और 2010 के दौरान जाली पासपोर्टों के आधार पर दुबई जा रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है (नीचे देखें)। तथापि, दिल्ली पुलिस को विगत दो वर्षों और चालू वर्ष अर्थात् 2009, 2010 और 2011 (30-11-2011 तक) के दौरान जाली पासपोर्टों के माध्यम से महिलाओं को दुबई भेजने के कार्य में संलिप्त किसी भी संगठित गिरोह का पता नहीं चला है।

†Original notice of the question was received in Hindi.